



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 भाद्र 1939 (श10)

(सं० पटना 749) पटना, वृहस्पतिवार, 24 अगस्त 2017

गृह विभाग  
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचनाएं  
23 अगस्त 2017

सं० 4/ब1-10-05/2011-6838-गृ0आ0—भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक साथ पठित बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 के धारा 55 एवं 97 तथा पुलिस अधिनियम, 1861 के धारा-46 के उप-धारा (2) एवं (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार के राज्यपाल बिहार पुलिस हस्तक, 1978 (समय-समय पर यथासंशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

- संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।—(1) यह नियमावली बिहार पुलिस आशु संवर्ग नियमावली, 2017 कही जायेगी।
  - यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगी।
  - यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
- परिभाषा।— इस नियमावली में, जब तक किसी संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,
  - “सरकार” से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
  - “विभाग” से अभिप्रेत है गृह विभाग (आरक्षी शाखा);
  - “आयोग” से अभिप्रेत है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग;
  - “संवर्ग नियंत्री प्राधिकार” से अभिप्रेत है पुलिस महानिदेशक, बिहार;
  - “नियुक्ति प्राधिकार” से अभिप्रेत है पुलिस उप-महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारी;
  - “संवर्ग” से अभिप्रेत है बिहार पुलिस आशु संवर्ग।
- संवर्ग का गठन।— इस संवर्ग में निम्नलिखित पद होंगे —
  - आशु उपाधीक्षक
  - आशु निरीक्षक
  - आशु अवर निरीक्षक
  - आशु सहायक अवर निरीक्षक

## 4. संवर्ग बल I—

- (1) संवर्ग का बल वर्तमान बल के अनुसार होगा, परन्तु आवश्यकतानुसार समय-समय पर, राज्य सरकार द्वारा पद सृजन अथवा पद समाप्ति के अधीन रहते हुए सेवा बल तदनुसार पुनरीक्षित समझा जायेगा।
- (2) इस संवर्ग के सभी कर्मी वर्दी पहनेंगे, लेकिन पुलिस अधिकारियों की शक्ति का उपयोग नहीं करेंगे एवं सामान्य पुलिस संवर्ग में इनका समायोजन नहीं होगा।
- (3) नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि के पूर्व से कार्यरत आशु सहायक अवर निरीक्षक एवं आशु अवर निरीक्षक इस संवर्ग के सदस्य समझे जाएंगे। सामान्य पुलिस बल में समायोजित अ0नि0/स0अ0नि0 आशु संवर्ग में प्रत्यावर्तित नहीं होंगे। आशु संवर्ग में नियुक्ति का मूल पद केवल आशु स0अ0नि0 होगा।

## 5. संवर्ग में भर्ती/अर्हता I—

- (1) जुलाई में पुलिस महानिदेशक, बिहार, आशु सहायक अवर निरीक्षकों के रिक्त पदों की संख्या की आरक्षण कोटिवार गणना कराएंगे।
- (2) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा आशु सहायक अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति संबंधी प्रावधान एतद्वारा विलोपित किए जाते हैं।
- (3) सीधी भर्ती द्वारा आशु सहायक अवर निरीक्षक के भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम, 2016(बिहार अधिनियम 6, 2016) के अधीन गठित बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा संयुक्त/पृथक प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा आयोग को विहित निदर्शन प्रपत्र (प्रोफार्मा) में एक अध्यक्षता भेजी जाएगी, जिसमें आरक्षण कोटिवार रिक्त पदों की संख्या उल्लिखित होगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग प्रश्न पत्र नियत, लिखित परीक्षा का संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने हेतु परीक्षकों की नियुक्ति करेगा एवं सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा करेगा।
- (4) पुलिस महानिदेशक, बिहार से प्राप्त अध्यक्षता के अनुसार बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग रिक्तियों को व्यापक रूप से परिचारित होने वाले समाचार पत्रों एवं वेबसाइट (website) के माध्यम से विज्ञापित कराएगा। अभ्यर्थियों को विज्ञापन में दिये गये निदेशों एवं शर्तों का पालन करना होगा। अभ्यर्थियों से परीक्षा फीस, जो आयोग द्वारा नियत किया जाय, लिया जाएगा।
- (5) अभ्यर्थीगण अपना आवेदन विहित प्रपत्र में, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापन में अंतर्विष्ट निर्बंधनों और शर्तों के अनुसार, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के वेबसाइट पर ऑनलाईन समर्पित करेंगे।
- (6) बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा दो चरणों में होगी यथा—प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे। प्रथम चरण में प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रारम्भिक परीक्षा में 100 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या—100 होगी एवं परीक्षा की अवधि डेढ़ घंटे की होगी। इसमें 30 अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुणा सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में, आयोग उक्त अनुपात में उपयुक्त रूप से कमी कर सकेगा।
- (7) प्रथम चरण में आयोजित प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जायगा। मुख्य परीक्षा में दो पत्र होंगे। प्रथम पत्र 100 अंकों का सामान्य हिन्दी का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम अर्हतांक 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिन्दी पत्र के लिए परीक्षा की अवधि डेढ़ घंटे की होगी। सामान्य हिन्दी पत्र का प्राप्तांक मेधा के अवधारण में नहीं जोड़ा जायेगा। द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 100 होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या—100 होगी एवं परीक्षा की अवधि डेढ़ घंटे की होगी। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक एक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी।
- (8) पात्रता की जाँच— आशु स0अ0नि0 के पद पर नियुक्ति हेतु श्रुतिलेखन, हिन्दी और अंग्रेजी के टंकण की जानकारी होना आवश्यक है। निम्न परीक्षा ली जाएगी :—
  - (क) हिन्दी श्रुतिलेखन की जाँच 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट तक लेखापन द्वारा की जाएगी। उसे टंकित करने हेतु 20 मिनट का और समय दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को टंकण आरंभ करने के पूर्व 2 मिनट का अतिरिक्त समय शुद्धि हेतु दिया जाएगा। श्रुतिलेख

के टंकण की शुद्धि निर्धारित समय के अंतर्गत करनी होगी। श्रुतिलेख के टंकण में उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

- (ख) **टंकण जाँच** – उम्मीदवारों को हिन्दी एवं अंग्रेजी में न्यूनतम 30(तीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10-10 मिनट में कम्प्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिन्दी टंकण में पाँच प्रतिशत से अधिक और अंग्रेजी टंकण में दस प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। निर्धारित 10 मिनट के समय में न्यूनतम 300 शब्दों से कम टंकित करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- (ग) **कम्प्यूटर ज्ञान की जाँच** – उम्मीदवार के MS-Office (Word, Excel, Power Point) तथा Internet के व्यावहारिक ज्ञान की जाँच की जायेगी। इस जाँच में असफल उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

#### 6. मेधा सूची का निर्माण।—

- (1) अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची, मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी।
- (2) लिखित परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा अर्थात् उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अवधारित किया जाएगा अर्थात् तुलनात्मक दृष्टिकोण से अधिक शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। इसके बावजूद यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान प्राप्तांक एवं समान जन्मतिथि वाले हों, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके दसवीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी।
- (3) अंतिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम अर्हतांक 32%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 34% तथा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हतांक 40% होगा।
- (4) बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेधा के आधार पर घटते क्रम में सूची तैयार करेगा और पुलिस महानिदेशक से प्राप्त अध्यक्षता के अनुसार आरक्षण कोटिवार एवं मेधा अंकों के घटते क्रम में नामों की अनुशंसा करेगा।

#### 7. चिकित्सीय जाँच, चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन।—

- (1) आशु सहायक अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति से पूर्व बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के फॉर्म सं0-103 के अनुसार चिकित्सीय जाँच एवं फॉर्म सं0-101 के अनुसार चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन कराया जाएगा। प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं/अथवा अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यों को छुपाए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किए जाएंगे।
- (2) बिहार पुलिस हस्तक, नियम 658 (iv) में किए गए प्रावधान के अनुसार अभ्यर्थी को ऐसे रोग, गठन विकार या दैहिक दुर्बलता से मुक्त होना चाहिए जिसके चलते वह कर्तव्यों के लिए अयोग्य हो या हो सकता हो।

**टिप्पणी-1.** नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जायेगा। दृष्टि बोध, कलर ब्लाइन्डनेस, श्रवण शक्ति, हकलाहट, फ्लैट-फुट एवं नौकिंग-नी आदि की जाँच की जायेगी। नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा।

**टिप्पणी-2.** हकलाना या तुतलाना जैसी त्रुटि अभ्यर्थी को चुनाव के लिए अपात्र कर देगी।

#### 8. शैक्षणिक अर्हताएँ।—

- (1) आशु स0अ0नि0 के मूल पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इण्टरमीडिएट (10+2) परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
- (2) अभ्यर्थी को कम्प्यूटर संचालन में सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारक होना अनिवार्य होगा।

9. **उम्र।**—आशु सहायक अवर निरीक्षक की उम्र का मापदंड वही होगा जो सिपाहियों की नियुक्ति के लिए अवधारित हो।

10. **आरक्षण।**—संवर्ग के पद पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु आरक्षण संबंधी, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अवधारित प्रावधान, लागू होंगे।

**11. प्रशिक्षण।—**

- (1) आशु स0अ0नि0 का बुनियादी प्रशिक्षण 180 कार्यदिवसों का होगा। प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा पुलिस महानिदेशक, बिहार के अनुमोदन से अवधारित किया जाएगा।
- (2) आशु स0अ0नि0 से आशु अ0नि0 के पद पर प्रोन्नति हेतु प्रशिक्षण 03 माह का होगा। विधि विषय सहित इस प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा पुलिस महानिदेशक, बिहार के अनुमोदन से अवधारित किया जाएगा।

**12. परिवीक्षा अवधि एवं सम्पुष्टि।—**

- (1) नवनियुक्त आशु सहायक अवर निरीक्षक नियुक्ति की तिथि से परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा की अवधि दो वर्षों की होगी, जिसका विस्तार, सेवा तथा कार्य अनुपालन असंतोषजनक पाए जाने पर एक वर्ष के लिए, किया जा सकेगा। इस प्रकार का विस्तार सेवाकाल में अधिकतम दो बार दिया जा सकेगा। विस्तारित अवधि के पश्चात् भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर परीक्ष्यमान रूप से नियुक्त आशु सहायक अवर निरीक्षक को सेवामुक्त कर दिया जाएगा।
- (2) आशु सहायक अवर निरीक्षक की, परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी होने एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने के आधार पर, सेवा में सम्पुष्टि किया जा सकेगा।

**13. विभागीय परीक्षा।—**आशु संवर्ग में नवनियुक्त सभी आशु सहायक अवर निरीक्षकों को बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग द्वारा आयोजित होने वाली हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। उक्त परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही द्वितीय एवं अग्रतर वेतनवृद्धि देय होगी।

**14. वरीयता।—**आशु सहायक अवर निरीक्षकों की आपसी राज्य वरीयता की गणना आयोग द्वारा संचालित मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं बुनियादी प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के योग के अनुसार विनिश्चित की जाएगी परंतु इस नियमावली के प्रभाव में आने से पूर्व, आशु संवर्ग में कार्यरत कर्मियों की आपसी वरीयता अक्षुण्ण रहेगी।

**15. प्रोन्नति।—** (1) इस संवर्ग में सम्पुष्टि कर्मियों की प्रोन्नति की श्रृंखला निम्नानुसार होगी:—

- (क) आशु सहायक अवर निरीक्षक से आशु अवर निरीक्षक के पद पर।
- (ख) आशु अवर निरीक्षक से आशु निरीक्षक के पद पर।
- (ग) आशु निरीक्षक से आशु उपाधीक्षक के पद पर।
- (2) प्रोन्नति वरीयता—सह—योग्यता मानदंड के अनुसार देय होगी, जो विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर विचारणीय होगी। प्रोन्नति हेतु योग्यता मानदंड में गोपनीय चरित्र अभियुक्ति, परफौरमेन्स रिपोर्ट, वांछित प्रशिक्षण, विभागीय परीक्षा आदि सम्मिलित होगा।
- (3) सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा, समय—समय पर, विनिश्चित वेतनमान आधारित कालावधि के पूरा करने पर प्रोन्नति पर विचार किया जा सकेगा।

**16. अवशिष्ट मामले।—** इस नियमावली या इसके अधीन निर्गत किसी आदेश से जो मामले आच्छादित नहीं होंगे, वैसे मामले बिहार सेवा संहिता/नियमावली/संकल्प/हस्तक जो भी राज्य सरकार में समकक्ष पद के लिए अनुमान्य होगा, द्वारा शासित होंगे।

**17. निर्वचन।—** इस नियमावली के किसी प्रावधान के संबंध में यदि, कोई शंका हो तो तत्संबंधी गृह विभाग (आरक्षी शाखा) द्वारा किया गया व्याख्या/निर्वचन, विधि विभाग से परामर्श के पश्चात्, अंतिम होगा।

**18. नियम 1287(क) का विलोपन।—** पुलिस हस्तक नियम, 1287 (क) में मात्र सिपाही एवं पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जबकि पुलिस संगठन में अन्य पदों पर भी सीधी नियुक्ति की जाती है अतः उक्त 1287 (क) एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।

**19. निरसन एवं व्यावृत्ति।—** आशु स0अ0नि0 के पद पर चयन हेतु परीक्षा एवं नियुक्ति/पदस्थापन के बिन्दु पर बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के नियम 749 एवं परिशिष्ट-42 में निहित प्रावधान एवं तत्संबंधी पूर्व से निर्गत आदेश/परिपत्र/निदेश एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

ऐसे निरसन के बावजूद भी, इस संबंध में पूर्व में निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश के आलोक में किया गया कुछ भी अथवा की गई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया अथवा की गयी कार्रवाई मानी जाएगी, मानों उक्त तिथि को यह नियमावली लागू थी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
रंजन कुमार सिन्हा,  
सरकार के अपर सचिव।

**The 23<sup>rd</sup> August 2017**

No. 4/B-1-10-05/2011-6838-HP—In exercise of powers conferred under the proviso to Article 309 of the Constitution of India read with section 55 and section 97 of Bihar Police Act, 2007 and clause (2) and (3) of section 46 of Police Act, 1861 (Act No.-V, 1861), the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amended the Bihar Police Manual, 1978 (as amended from time to time) :-

1. Short title and commencement.—(1) The Rules shall be called “Bihar Police Steno Cadre Rules, 2017”.
  - (2) It shall have jurisdiction all over Bihar.
  - (3) It shall come into force with immediate effect.
2. **Definition.**— In the Rules, unless the context otherwise requires-
  - (i) “Government” means Government of Bihar;
  - (ii) “Department” means Home Department (Police Section);
  - (iii) “Commission” means Bihar Police Sub-ordinate Service Commission;
  - (iv) “Cadre Controlling Authority” means Director General of Police, Bihar;
  - (v) “Appointing Authority” means Officer of the rank of Deputy Inspector General of Police;
  - (vi) "Cadre" means Bihar Police Steno Cadre.
3. **Constitution of Cadre.**—The following posts shall be in this Cadre-
  - (I) Steno Deputy Superintendent
  - (II) Steno Inspector
  - (III) Steno Sub-Inspector (Steno SI)
  - (IV) Steno Assistant Sub-Inspector (Steno ASI)
4. **Strength of Cadre.**—
  - (1) The strength of this cadre shall be as per existing strength, but, the service strength shall be revised subject to creation or abolition of posts by the State Government as per requirement.
  - (2) All the personnel of this cadre will wear uniform, but they will not exercise the power of Police officers and they will not be absorbed in general police cadres.
  - (3) Steno ASI and Steno SI already working before coming in to force of these Rules shall be deemed to be the member of this cadre. Steno S.Is./Steno A.S.Is., who have already been absorbed to General Police force will not be reverted back to Steno cadre. The basic post of appointment in Steno cadre shall only be the post of Steno Assistant Sub-Inspector.
5. **Recruitment in the cadre and eligibility.**—
  - (1) In July, the Director General of Police, Bihar will get calculated the number of vacant posts of Steno Assistant Sub-Inspector reservation category wise.
  - (2) The provisions of recruitment of Steno ASI by Limited Departmental Competitive Examination are hereby deleted.
  - (3) The selection of candidates for appointment to the posts of Steno Assistant Sub-Inspector by direct recruitment shall be made by the Bihar Police Sub-ordinate Service Commission constituted under Bihar Police Sub-ordinate Service Commission Act 2016 (Bihar Act 6, 2016), through Combined/Separate Competitive Examination. A requisition shall be sent to the Bihar Police Sub-ordinate Service Commission in the prescribed proforma, in which number of reservation category wise vacant posts will be mentioned. The Bihar Police Sub-ordinate Service Commission shall set question papers, conduct examinations, appoint examiners to examine the answer-sheets and shall recommend the list of successful candidates.
  - (4) Bihar Police Sub-ordinate Service Commission shall advertise the number of vacancies in widely circulated news papers and through website as per requisition received from the Director General of Police, Bihar. The candidates shall have to abide by the directions and conditions contained in the advertisements. Examination fees shall be charged from the candidates, which may be fixed by the Commission.
  - (5) The candidates shall submit their application forms in the prescribed proforma online through the website of the Bihar Police Sub-ordinate Service Commission as per the terms and conditions contained in the advertisement.

- (6) The Bihar Police Sub-ordinate Service Commission shall hold written competitive examination. Written examinations shall be conducted in two phases i.e. preliminary & main examinations. All the examination papers of written examination shall be based on multiple choice questions. Preliminary examination shall be conducted in the first phase. In the preliminary examination, there will be one paper of 100 questions of 100 marks and the duration of examination shall be of one and a half hours. Candidates securing less than 30 marks in this paper shall be declared unsuccessful to appear for the main examination. In this paper, questions shall be based on General Knowledge and Current Events. 20 times candidates of the existing vacancies shall be selected reservation category wise, on the basis of marks obtained in the preliminary examination. In case of unavailability of sufficient number of eligible candidates for the main written examination, the Commission may reduce the above mentioned proportion suitably.
- (7) The successful candidates in the first phase of preliminary examination shall be provided an opportunity to appear in the main written examination. Main written examination shall comprise of two papers. 1<sup>st</sup> paper will be of General Hindi, having 100 questions of 100 marks, in which it will be compulsory to secure minimum qualifying 30 marks otherwise they will be declared unfit. The duration of examination of General Hindi paper shall be of one and a half hours. The marks obtained in General Hindi paper shall not be added in the determination of merit. 2<sup>nd</sup> paper shall be related to General Studies, General Science, Civics, Indian History, Geography of India, Mathematics and Mental Ability Tests. 2<sup>nd</sup> paper will be of 100 questions of 100 marks and the duration of the examination shall be of one and half hours. 0.2 marks shall be deducted for each and every wrong answer in both phases of examinations. Answer-sheets shall be in two copies, in which one copy shall be kept as reserve in the Commission.
- (8) **Test of eligibility**—Knowledge of Short-Hand and Typing in Hindi and English language is compulsory for appointment to the post of Steno ASI. Following tests will be conducted:-
- (a) **Hindi Short—Hand Test** will be made by writing up to conducted for 5 minutes with a minimum speed of 80 words per minute, and another 20 minutes will be given for typing the same. It will be given two minutes extra time for correction before start of typing. Correction of typing of Short Hand will have to be done within stipulated time prescribed for typing. To qualify in Test of Short Hand, errors must not exceed the limit of 10 %, otherwise the candidate will be declared unfit.
- (b) **Typing Test**— Candidates will have to type 300 words on computer in both Hindi and English with a minimum speed of 30 words per minute within 10 minutes. To qualify this test, errors must not exceed 5 % in Hindi Typing and 10 % in English Typing otherwise they will be declared unfit. Candidates who type less than 300 words, in given time limit of 10 minutes, will be declared unfit.
- (c) **Test of computer knowledge**—Practical knowledge of candidates in MS-office(Word, Excel, Power-point) and internet will be tested and those who fail in this examination will be declared unfit.

#### 6. Preparation of merit list.—

- (1) Merit list of successful finally successful candidates will be prepared reservation category wise on the basis of marks obtained in main written examination.
- (2) If two or more than two candidates secure equal marks in the written examination, determination of their place in the merit order shall be made on the basis of their dates of birth. Thus, elder candidate shall remain above in order of merit. In case of similar dates of birth of two or more than two candidates, their places shall be determined on the basis of their educational qualifications. It

means the candidate having higher educational qualifications, shall remain above in the merit order. Besides, if more than one candidate are on same footage their seniority shall be determined as per order of English alphabet of their names as mentioned in their certificate of Tenth Board.

- (3) The minimum qualifying marks for the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Woman shall be 32%, for the candidates of Backward category 36.5%, Extremely Backward category 34% and for the candidates of General category 40% for the final merit list.
- (4) Bihar Police Sub-ordinate Service Commission shall prepare a list of candidates based on merit and shall recommend list of candidates and reservation category wise in descending order of merit as per requisition received from the Director General of Police.

**7. Medical examination, character and antecedent verification.-**

- (1) Before appointment to the post of Steno ASI, the successful candidates will have to undergo medical examination in form no-103, their character and antecedent's verification shall be compulsory as provided in form no-101 of Bihar Police Manual 1978. In case of adverse report or/and concealment of facts the concerned candidate shall be declared unfit for appointment.
- (2) According to The Bihar Police Manual Rule 658 (iv), candidates must be free from disease, constitutional affliction or physical infirmity due to which he may or may be unfit for duty.

**Note—1:** All the selected candidates will have to be medically examined before the appointment. Eye sight, colour blindness, hearing power, stammering, flat-foot and knocking knee etc. will also be examined in the medical test. It will compulsory for the Selected candidates to be found fit in the Medical Examination for appointment.

**Note—2:** Defects like stuttering or stammering will render an applicant in eligible for selection.

**8. Educational qualifications.—**

- (1) The minimum educational qualification for recruitment to basic post of Steno ASI shall be intermediate (10+2) or equivalent.
- (2) It will be compulsory for the candidate for this post must possess a diploma certificate in computer applications from institutions recognized by Bihar Government.

**9. Age.—**Criterion of age for Steno ASI will be same as may be determined for appointment of constables.

**10. Reservation.—** For the appointment and promotion to the posts of the cadre, provision regarding Reservations determined by the State Government from time to time, will apply.

**11. Training.—**

- (1) The basic training of Steno ASIs shall be of 180 working days. The syllabus of their training shall be determined by D.G. (Training) with the approval of D.G.P., Bihar.
- (2) Training for the promotion of Steno ASIs to Steno SIs shall be of three months. The syllabus for this training, including Law, shall be determined by D.G. (Training) with the approval of D.G.P., Bihar.

**12. Probation period and Confirmation.—**

- (1) The newly recruited Steno ASI shall remain, on probation from the date of appointment. The period of probation shall be of two years, which may be extended by one year in case of service and work performance being found not satisfactory. Such extension may be made maximum twice in the service. In case of service and performance not being found satisfactory even after the extended period, the service of the Steno ASI appointed on probation will be terminated.
- (2) On successful completion of probation period and after passing of the departmental examination, Steno ASI may be confirmed in the service.

**13. Departmental Examination.**— All newly recruited Steno ASIs shall have to pass Hindi Noting and Drafting Examination, conducted by Cabinet Department (Rajbhasha), Government of Bihar. Second and onward increments shall be admissible only on passing the said examination.

**14. Seniority.**— The inter-se seniority of this cadre shall be reckoned according to the total marks obtained in main written exam conducted by the Commission and marks obtained in exams of basic training but, before coming into effect of these rules, the **interse-seniority** of personnel already working in the steno cadre shall remain intact.

**15. Promotion.**— (1) The promotional chain of the confirmed employees in this cadre shall be as follows-

- (a) From Steno ASI to the post of Steno Sub-Inspector;
  - (b) from Steno Sub-Inspector to the post of Steno Inspector;
  - (c) From Steno Inspector to Steno Deputy Superintendent.
- (2) The promotion shall be admissible on the basis of seniority cum eligibility criterion, which shall be considered on the recommendation of the Departmental Promotion Committee. Eligibility criteria for promotion will include A.C.Rs, Performance Report, required Trainings, Departmental Examinations etc.
  - (3) The promotion may be considered on completion of scale-based Kalawadhi as determined by the Government. (General Administrative Department) and revised from time to time.

**16. Residual Matters.**—Any matter, not covered by the Rules or Order/Orders issued under this shall be governed by the Bihar Service Code/Rules /Resolutions/Manual(s) which may be admissible to the similar Posts in the State Government.

**17. Interpretation.**—If any doubt arises regarding any provision of the Rules, the interpretation of Home Department (Police Branch) , after consultation of the Law Department shall be final.

**18. Deletion of Rule 1287 (a).**—Provision of direct appointment to the Post of Constable and Sub-Inspector has been made in the Rule 1287 (a) of The Police Manual only while direct appointment in Police Organisation is made to other post so the said Rule 1287 (a) is hereby deleted.

**19. Repeal and Savings.**—The provisions vested in Rule-749 and Appendix-42 of Bihar Police Manual, 1978 on the points of the examination and appointment/posting for selection to the Posts of Steno SI, Steno ASI and the orders/circulars /directions issued earlier in this regard are hereby repealed.

Not with standing such repeal, any thing or any action taken earlier in the light of aforesaid Resolution/Rules/Orders/Decision issued earlier shall be deemed to be done or taken under these Rules as if these Rules were enforce on such date.

By order of the Governor of Bihar  
Ranjan Kumar Sinha,  
Addl. Secretary to Govt.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,  
बिहार गजट (असाधारण)749-571+100-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>